उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-12
संख्या- 91 /2024//001-1243 -23-12-2024-23-12099-869-2020
दिनांकः 02 दिसम्बर, 2024

शुद्धि-पत्र

अवगत कराना है कि शासनादेश अपलोड करने की वेबसाइट पर पीडीएफ में अपलोड किये गये वित्तीय वर्ष 2024-25 में वाहय सहायतित परियोजना के अन्तर्गत चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के 01 चालू कार्य से सम्बन्धित शासनादेश सं0-86/2024// 001-1124-23-12-2024-23-12099-1112-2020, दिनांक 25.11.2024 अपलोड किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 की तालिका के कालम-2 में टंकण त्रुटिवश कार्यदायी संस्था-वाहय सहायतित परियोजना खण्ड लोक निर्माण विभाग बहराइच अंकित हो गया है, जबकि उक्त के स्थान पर जनपद/खण्ड का नाम विश्व बैंक खण्ड लखनऊ होना चाहिए था। ।

अत: उक्त शासनादेश में अंकित **कार्यदायी संस्था-वाहय सहायतित परियोजना खण्ड लोक निर्माण विभाग बहराइच** के स्थान पर **जनपद/खण्ड का नाम विश्व बैंक खण्ड लखनऊ** पढ़ा जाये।

2. उक्त शासनादेश सं0-86/2024// 001-1124-23-12-2024-23-12099-1112-2020, दिनांक 25.11.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष यथावत।

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव

सं0-91/2024/ /001-1243-23-12-2024-23-12099-869-2020तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 शासन।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8- मुख्य अभियन्ता(मु0-1)/वाहय सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
10- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
13- लोक निर्माण अनु0-10
14- डाटा सेल,नवीन भवन सचिवालय,उत्तर प्रदेश शासन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in